राजभाषा की संवैधानिक स्थिति

राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने से पहले हमें इतिहास के कुछ पृष्ठ उलटने होंगे. हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहराई से जुडी हुई है. महात्मा गांधी के जन आंदोलन के साथ साथ हिंदी भी संपर्क भाषा के रूप में संपूर्ण भारत के दर दराज के इलाकों तक पहुंच गई उस समय विभिन्न राजनीतिक संगठनों धर्मों संप्रदायों के समाने केवल एक ही उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति. इस महान उद्देश्य के सामने भाषायी संकीर्णता तथा क्षेत्रीयता महत्वहीन हो गई थी.

परंतु स्वतंत्रता प्राप्त होते ही जब संविधान निर्माताओं के समक्ष स्वतंत्र देश की एक राजभाषा का निर्णय करने का समय आया तो इस विषय पर कई मतभेद उभरकर सामने आने लगे.

स्वतंत्र भारत के संविधान सभी की पहली बैठक 09 दिसंबर 1946 को हुई और लगातार दो–ढाई वर्ष तक संविधान निर्माण का कार्य चलता रहा. संविधान सभा में राजभाषा पर तीन दिन तक लम्बी बहस के पश्चात 14 सितं0 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का स्थान दे दिया गया. संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:–

अनुच्छेद 343–राजभाषा और अंको का प्रयोग–

343(1)– भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपी में हिंदी होगी. संघ के सरकारी कार्यों में अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा.

343(2)– संविधान लागू होने से (26 जनवरी 1950) 15 वर्ष (26 जनवरी 1965) तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी. इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप में प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं.

343(3)– संसद 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंको के प्रयोग को विधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में जारी रख सकेगी.

अनुच्छेद 344–राजभाषा आयोग का गठन–

संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग की स्थिति का जायजा लेकर उसके प्रगामी प्रयोग को निश्चित करने के लिए आयोग का गठन करेंगे.

344 (4) – आयोग की सिफाारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति (जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे.) गठित की जाएगी. समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी. तद्नुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे.

अनुच्छेद 345– राज्यों की राजभाषाएं–

राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजनो के लिए स्थानीय भाषा/भाषाओं या हिंदी को अंगीकार करेंगे जब तक विधि द्वारा ऐसा उपबंध नहीं किया जाता तब तक राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा.

अनुच्छेद 346–संघ (केन्द्र) और राज्य अथवा राज्यों के बीच संचार की भाषा–

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय प्रयुक्त/प्राधिकृत भाषा ही राज्य और संघ तथा राज्यों के बीच संपर्क भाषा होगी. यदि दो या अधिक राज्य अपनी आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं.

अनुच्छेद 347– राज्यों में द्वितीय राजभाषा –

यदि किसी राज्य के जनसमुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछेक शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के आदेश देंगे.

अनुच्छेद 348–उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय और अधिनियमों आदि की भाषा –

1) जब तक और कोई व्यवस्था न की जाए तब तक उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी.

2) केन्द्र और राज्यों के सभी अधिनियमों/विधयकों/ आध्यदेशों/आदेश/नियम/ विनियम/ उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे.

साथ ही राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा (निर्णय/आज्ञप्ति/आदेश के लिए नहीं)

अनुच्छेद 349–भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करना (संघ की राजभाषा में संशोधन)

संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में करने अथवा शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा के लिए कोई संशोधन लोकसभा/राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा.

अनुच्छे 350– व्यथा निवारण के लिए संघ की राजभाषा–

कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को संघ या राज्य में उस समय प्रयुक्त राजभाषा में अभ्यावेदन दे सकता है.

350 –'क' भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए.

350 'ख' एक विशेषा प्राधिकारी की नियुक्ति

अनुच्छेद 351–हिंदी के विकास के लिए निर्देश–

हिंदी भाषा का प्रसार, विकास करने , उसे भारत की सामसिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी. इसलिए राजभाषा हिंदी अपना शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत और गौणतः आठवी अनुसूची में सम्मिलित अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण कर अपने आपको समृद्ध करेगी.

संसद में प्रयोग होने वाली भाषा–

अनुच्छेद 120– भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधो के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा.

परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदनों को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा.

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' यह शब्द उसमें ये लुप्त कर दिए गए हों.

विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा7

अनुच्छेद 210– भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, राज्य की विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा.
परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान सभा का सभापति अथवा ऐसे में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकात है (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है).

जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष की कलावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में''ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए है.

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधानमंडल के संबंध में यह खण्ड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले '15 वर्ष' शब्दों के स्थान पर '25 वर्ष' शब्द रख दिए गए हों.

संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं–

(1) असमिया	(2) उडिया	(3) उर्दू	(4) कन्नड
(5) कश्मीरी	(6) गुजराती	(7) तमिल	(8) तेलगू
(9) पंजाबी	(10) बंगला	(11) मराठी	(12) मलयालम
(13) संस्कृत	(14) सिंधी	(15) हिंदी	(16) मणिपुरी
(17) नेपाली	(18) कोंकणी	(19) संथाली	(20) बोडो
(21) डोंगरी	(22) मैथिली		